



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235933
CG-DL-E-21052022-235933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2205]
No. 2205]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

का.आ. 2325(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ५२५९(अ) दिनांक १४ दिसम्बर २०२१ को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारातक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख"१४ जनवरी २०२२"को"फौलादी कलम"और"दैनिक सुभ भारत"दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और किसी भी व्यक्ति द्वारा एक भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में रा.रा. मार्ग क्रमांक ४३ विस्तार - गुलगंज - अमानगंज - पवई - कटनी {०+०० से १६३+८५} के खंड १०८+००० से ११९+६५ तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: पन्ना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पवई				
	गांव का नाम: पवई				
1	2230	निजी	असिंचित	0.061	श्यामबाई वेवा ताजमोहम्मद खुशी सलामत पिता तजमोहम्मद (२२३०)
2	2328	निजी	असिंचित	0.052	गंगाराम पिता राजाराम कुर्मी (२३२८)
3	5740	निजी	सिंचित	0.085	अखिलेश पिता राजेश खंगार (यह जमीन असिंचित है) (५७४०)
4	6016/2/1	निजी	असिंचित	0.04	मनीष कुमार पिता दयाशंकर लटोरिया (६०१६/२/१/१)
5	6016/2/2	निजी	असिंचित	0.05	संतोष कुमार पिता मदनमोहन पान्डेय रामनारायण पुत्र शिवकुमार सोनी (६०१६/२/२)
6	6017	निजी	सिंचित	0.015	सुंदर पिता बोरेलाल नाई (यह जमीन असिंचित है) (६०१७)
7	6018/2	निजी	असिंचित	0.01	नंदलाल, कृपाल, नोनेलाल पिता धतौला चमार (6018/2/1)
8	6018/2	निजी	असिंचित	0.02	विमला पति कैलश बाबू सोनी (6018/2/2)

9	6018/2	निजी	असिंचित	0.03	रामनारायण पीता शिवकुमार (6018/2/1/2)
10	6018/3	निजी	असिंचित	0.015	सियाराम पिता विन्द्रावन लहरिया (६०१८/३)
11	6022	निजी	असिंचित	0.014	नसीमा बेगम अन्सारी जोजे मोहम्मद कासिम (६०२२)
12	6023	निजी	असिंचित	0.016	आमीट् कूम्हार पिता बन्नीप्रसाद (६०२३)
13	6034	निजी	असिंचित	0.009	दिनेश कूम्हार खुशलचंद्र जैन (६०३४)
14	6255	निजी	असिंचित	0.055	धनियाँ वेवा टिहा, अशोक कूम्हार, फुलबाई, विमलाबाई पीता टिहा (६२५५)
			कुल	0.472	

[फा. सं. CE-RO-BPL/30010/04/2017-18/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2022

S.O. 2325(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O. 5259 (E) dated – 17 December 2021**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 43 Ext. Gulganj - Amanganj - Pawai - Katni Road {KM 0+00 to KM 163+85} in the stretch of land from design Km 108+000 to Km 119+650 (Sub-Divisional officer revenue & land acquisition officer Tehsil - Pawai) in the district of PANNA in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Subh Bharat**” and “**Fauladi Kalam**” dated **14 January 2022**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land in National Highway No. 43 Ext. Gulganj - Amanganj - Pawai - Katni Road {KM 0+00 to KM 163+85} in the stretch of land from design Km 108+000 to Km 119+650 (Sub-divisional officer revenue Officer Revenue Tehsil - Pawai District Panna) in the district of PANNA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: PANNA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pawai				
	Village: Pawai				
1	2230	Private	aabadi	0.061	shyambai veva tajmohammad khushi salamat pita tajmohammad (this land is Non_irrigated) 2230
2	2328	Private	Asinchit	0.052	gangaram pita rajaram kurmi 2328
3	5740	Private	Irrigeted	0.085	akhilehsh pita rajesh khengar (this land is Non_irrigated) 5740
4	6016/2/1	Private	Asinchit	0.04	Manish kumar pita dayashankar latoriya 6016/2/1/1
5	6016/2/2	Private	Asinchit	0.05	santosh kumar pita madanmohan pandey ramnarayan putra shivkumar soni 6016/2/2
6	6017	Private	Irrigeted	0.015	sundar pita borelal nai (this land is Non-Irrigated) 6017
7	6018/2	Private	Asinchit	0.01	nandlal, krupal, nonelal pita dhatola chamar 6018/2/1
8	6018/2	Private	Asinchit	0.02	Vimla pati kailash babu soni 6018/2/2
9	6018/2	Private	Asinchit	0.03	Ramnarayan pita shivkumar 6018/2/1/2
10	6018/3	Private	aabadi	0.015	siyaram pita vindravan lahriya (this land is Non_irrigated) 6018/3
11	6022	Private	aabadi	0.014	nasima begum ansari joje mohammad kasim (this land is Non_irrigated) 6022
12	6023	Private	aabadi	0.016	amit kumar pita badriprasad (this land is Non_irrigated) 6023
13	6034	Private	aabadi	0.009	dinesh kumar khushalchandra jain (this land is Non_irrigated)

					6034
14	6255	Private	asinchit	0.055	dhaniya veva tiha, ashok kumar, fulbai, vimlabai pita tiha 6255
			TOTAL	0.472	

[F. No. CE-RO-BPL/30010/04/2017-18/3D]

RAJESH GUPTA, Director